# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास (म.प्र.)

## बैंक प्रशासक महोदय की बैठक दिनांक 14.07.2017 के संकल्प क्रं. 09 की सत्य–प्रतिलिपि

विषय क्रं0 9 — **एटीएम सह डेबिटकार्ड की सुविधा अंतर्गत बैंक ग्राहको के हेतु सेवा शुल्क का निर्धारण करने बाबद अनुमोदन / निर्णय लेना।**

संकल्प — कार्यालयीन टीप का अवलोकन किया गया। शीर्ष बैंक के पत्र क्रं./म.प्र./मुख्या/सीबीएस/51/प्रसं/368, दिनांक 15.05.2017 एवं पत्र क्रं./18/ लेखा/652, दिनांक 09.06.2017 के माध्यम से बैंक के अमानतदारो को रूपे आधारित एटीएम डेबिट कार्ड एवं पेक्स के सदस्यों को रूपे आधारित किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। शीर्ष बैंक से प्राप्त निर्देशानुसार एवं निर्धारित बैंक ग्राहको से RUPAY KCC-ATM DEBIT CARD की प्रतिदिवस ट्रान्जेक्शन एवं सेवा शुल्क का निर्धारण निम्नवत हैं।

| क्रं. | विवरण | सीमा / शुल्क |
|---|---|---|
| 01 | ए.टी.एम. से प्रतिदिन नगद आहरण की सीमा | रू. 25000/– |
| 02 | ए.टी.एम. से प्रति नगद आहरण संव्यवहार आहरण की अधिकतम सीमा | रू. 20000/– |
| 03 | प्रति नगद आहरण संव्यवहार की न्यूनतम सीमा | रू. 100/– |
| 04 | ई–कामर्स खरीदारी की न्यूनतम सीमा | –निल– |
| 05 | ई–कामर्स खरीदारी की एक बार की अधिकतम सीमा | रू. 10000/– |
| 06 | खाताधारक को प्रथम बार कार्ड एवं पिन प्रदान किये जाने पर शुल्क | –निल– |
| 07 | खाताधारक द्वारा कार्ड खो देने/खराब होने अथवा अन्य किसी भी स्थिति में दूसरा नया कार्ड लेने पर | रू. 100/– +जीएसटी |
| 08 | नया पिन प्रदान करने पर | रू. 50/– +जीएसटी |
| 09 | कार्ड संधारण वार्षिक शुल्क (वित्तीय वर्ष आधार पर)<br>(अ) प्रथम वर्ष<br>(ब) द्वितीय वर्ष से प्रति वर्ष | <br>–निल–<br>रू. 100/– +जीएसटी |
| 10 | एटीएम कार्ड/किट त्रुटिपूर्ण पता होने के कारण बैंक को वापस प्राप्त होने पर | रू. 100/– + जीएसटी |
| 11 | संव्यवहार सीमा<br>(अ) एक माह में अधिकतम 10 फाईनेंशियल एवं नॉन–फायनेंशियल संव्यवहार तक<br>(ब) 'अ' में दर्शित संव्यवहार से अधिक संव्यवहार होने पर<br>फाईनेंशियल संव्यवहार<br>नॉन–फायनेंशियल संव्यवहार | <br>–निल–<br><br>रू. 10/– +जीएसटी<br>रू. 05/– +जीएसटी |

कमेटी शीर्ष बैंक से प्राप्त उपरोक्तानुसार निर्धारित बैंक ग्राहको से RUPAY KCC-ATM DEBIT CARD की प्रतिदिवस ट्रान्जेक्शन एवं सेवा शुल्क से अवगत हुई। गहन विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रतिदिवस ट्रान्जेक्शन एवं सेवा शुल्क कार्ड वितरण दिनांक से प्रभावशील किया जाना सर्वमान्य किया जाता हैं।

तदनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावे।

सत्य प्रतिलिपि